वशि्व मानवाधकिार दविस

प्रलिमि्स के लयि:

वशि्व मानवाधकिार दविस, वशि्व मानवाधकिार दविस, मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा, जन धन योजना

रुपे कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

मेन्स के लयि:

वशि्व मानवाधकिार दविस और वशि्व में मानवाधकिारों की स्थति

चर्चा में क्यों

वशि्व भर में प्रतविर्ष 10 दसिंबर को मानवाधकिार दविस का आयोजन कयिा जाता है।

- इस वर्ष की शुरुआत में जारी '[फ्रीडम इन द वर्ल्ड](#) **2021**' की रपिोर्ट में भारत का दर्जा 'स्वतंत्र' से घटाकर 'आंशकि रूप से स्वतंत्र' कर दयिा गया था।

प्रमुख बदिु

- **मानवाधकिार दविस**
  - **परचिय:**
    - 10 दसिंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था।
      - मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के तहत मानवीय दृष्टकिोण और राज्य तथा व्यक्त के बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनयिादी मूल्यों का एक सेट स्थापति कयिा है।
  - **वर्ष 2021 की थीम::**
    - "समानता - असमानताओं को कम करना, मानव अधकिारों को आगे बढ़ाना" ("EQUALITY-Reducing inequalities, advancing human rights")।
  - **उद्देश्य:**
    - समानता, शांत, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरमिा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रत्येक व्यक्त जात, रंग, धर्म, लगि, भाषा या सामाजकि स्थति के भन्नि होने के बावजूद मानवाधकिारों का हकदार है।
- **मानवाधकिार:**
  - सरल शब्दों में कहें तो मानवाधकिारों का आशय ऐसे अधकिारों से है जो जात, लगि, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या कसिी अन्य आधार पर भेदभाव कयि बनिा सभी को प्राप्त होते हैं।
  - मानवाधकिारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधकिार, गुलामी और यातना से मुक्त का अधकिार, अभव्यिक्त की स्वतंत्रता का अधकिार तथा काम एवं शक्षिा का अधकिार आद शामलि हैं।
  - मानवाधकिारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, 'लोगों को उनके मानवाधकिारों से वंचति करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।'
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधकिार अभसिमय और नकिाय:**
  - **मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR):**
    - इसके अंतर्गत अधकिारों और स्वतंत्रताओं से संबंधति कुल 30 अनुच्छेदों को सम्मलिति कयिा गया है, जसिमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे नागरकि और राजनीतकि अधकिार तथा सामाजकि सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्षिा जैसे आर्थकि, सामाजकि और सांस्कृतकि अधकिार शामलि हैं।
      - भारत ने मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के प्रारूपण में सक्रयि भूमकिा नभिाई थी।
    - यह कसिी भी प्रकार की संधनिहीं है, अतः यह प्रत्यक्ष तौर पर कसिी भी देश के लयि कानूनी दायत्वि नर्धिारति नहीं करता है।
    - मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR), इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन सविलि एंड पॉलटिकिल राइट्स, इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन इकोनॉमकि, सोशल एंड कल्चर राइट तथा इसके दो वैकल्पकि प्रोटोकॉल्स को संयुक्त रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधकिार

वधियक' (International Bill of Human Rights) के रूप में जाना जाता है।

- **अन्य अभसिमय:**
  - इसमें शामलि हैं:
    - कन्वेंशन ऑन द प्रविंशन एंड पनशिमेंट ऑफ़ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड (वर्ष 1948)
    - इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलमिनिेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेसयिल डस्क्रिमिनिेशन (वर्ष 1965)
    - कन्वेंशन ऑन द एलमिनिेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डस्क्रिमिनिेशन अगेन्सट वमिेन (वर्ष 1979)
    - बाल अधकिारों पर कन्वेंशन (वर्ष 1989)
    - वकिलांग व्यक्तयिों के अधकिारों पर कन्वेंशन (वर्ष 2006)
  - ध्यातव्य है कि भारत इन सभी कन्वेंशन्स का हस्सिा है।
- **मानवाधकिार परषिद:**
  - मानवाधकिार परषिद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी नकिाय है जो कि मानव अधकिारों के संवर्द्धन और संरक्षण की दशिा में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देशों से मलिकर बनी है, जनिका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कयिा जाता है।
  - **सार्वभौमकि आवधकि समीक्षा** (UPR) प्रकयिा को मानवाधकिार परषिद का सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। इस अनूठे तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक चार वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों के मानवाधकिार रकिॉर्ड की समीक्षा की जाती है।
  - मानवाधकिार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) मानवाधकिार परषिद के सचविालय के रूप में कार्य करता है।
- **एमनेस्टी इंटरनेशनल :**
  - यह मानवाधकिारों की वकालत करने वाले कुछ स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में मानवाधकिारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रपिोर्ट प्रस्तुत करता है।.

भारत में मानवाधकिार

- **संवैधानकि प्रावधान:**
  - मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में उल्लखिति लगभग सभी अधकिारों को भारतीय संवधिान में दो हस्सिों (**मौलकि अधकिार** और **राज्य के नीतनिरि्देशक सद्धिांत**) में शामलि कयिा गया है।
    - **मौलकि अधकिार:** संवधिान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें समानता का अधकिार, स्वतंत्रता का अधकिार, शोषण के वरिुद्ध अधकिार, धार्मकि स्वतंत्रता का अधकिार, संस्कृति और शकि्षा संबंधी अधकिार तथा संवैधानकि उपचारों का अधकिार शामलि है।
    - **राज्य के नीतनिरि्देशक सद्धिांत:** संवधिान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें सामाजकि सुरक्षा का अधकिार, काम का अधकिार, रोज़गार चयन का अधकिार, बेरोज़गारी के वरिुद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधकिार, मुफ्त और अनविार्य शकि्षा का अधकिार तथा मुफ्त कानूनी सलाह का अधकिार आदि शामलि हैं।
- **सांवधिकि प्रावधान:**
  - मानवाधकिार संरक्षण अधनियिम, 1993 में केंद्रीय स्तर पर एक **राष्ट्रीय मानवाधकिार आयोग** के गठन की बात कही गई है, जो कि संवधिान में प्रदान कयि गए मौलकि अधकिारों के संरक्षण और उससे संबंधति मुद्दों के लयि राज्य मानवाधकिार आयोगों और मानवाधकिार न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा।
- **संबंधति पहलें:**
  - **गरीबों के लयि:**
    - जन धन योजना
    - रुपे कार्ड
    - उज्ज्वला गैस कनेक्शन
    - पीएम-केयर फॉर चलिड्रन' योजना
  - **दव्यिांगजनों के लयि:**
    - दव्यिांग व्यक्तयिों को सहायता योजना
    - सुगम्य भारत अभयिान: दव्यिांगजनों के लयि सुगम वातावरण का नरि्माण
    - दीनदयाल वकिलांग पुनर्वास योजना
  - **प्रवासयिों के लयि:**
    - एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/world-human-rights-day